

# संचालनालय, कोष एवं लेखा

## मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रशि0/म0.प्र.वि.से.(परि)/17/ 417  
प्रति,

भोपाल,दिनांक 03/11/2017

कोषालय अधिकारी,  
जिला कोषालय-----  
(म0प्र0)

विषय:- नवनियुक्त म0प्र0 वित्त सेवा(परिवीक्षाधीन)अधिकारियों के प्रशिक्षण बाबत ।

संदर्भ:- म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक/एफ/ 5(ए)/3/2017/ई/चार,  
भोपाल दिनांक 11-10-2017

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार नवनियुक्त म0प्र0 वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन 73 अधिकारियों को दिनांक 06-11-2017 से 15-12-2017 तक कुल 06 सप्ताह का जिला स्तर पर कोषालयीन प्रक्रिया का अध्ययन एवं कोषालय सबसिस्टम के कार्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाना जाना है । कृपया संलग्न सूची अनुसार नवनियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करें ।

पत्र के साथ अधिकारियों के नाम तथा जिस जिले में प्रशिक्षण दिलाया जाना है, उन कोषालयों/जिलों की सूची संलग्न प्रेषित है।

इनकी प्रत्येक माह की उपस्थिति माह की 25 तारीख तक संबंधित अधिकारी के पदस्थापना कार्यालयों को प्रेषित करते हुये एक प्रति इस संचालनालय की प्रशिक्षण शाखा को प्रेषित करें।

समस्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जिला स्तर पर लिये गये प्रशिक्षण का प्रशिक्षण प्रतिवेदन एकजाई कर संबंधित कोषालय अधिकारी, संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर उपरांत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र सहायक संचालक, प्रशिक्षण शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल को प्रेषित करेंगे एवं प्रशिक्षण के दौरान लिये गये अवकाश आवेदन आदि सहायक संचालक, राजपत्रित शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा के नाम प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणार्थियों की कोषालयवार सूची ।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

  
अपर संचालक  
भोपाल,दिनांक

पू0क्रमांक/प्रशि0/म0प्र0वि0से0(परि0)/17/

प्रतिलिपि:-

1- सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2- संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3- संबंधित प्रशिक्षणार्थी श्री/श्रीमती/कुमारी-----

जिला कोषालय-----की ओर पालनार्थ अग्रेषित । प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण से अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे संबंधित जिले के जिला कोषालय(संलग्न सूची अनुसार) में ही प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे । समस्त प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण उपरांत अपना प्रशिक्षण प्रतिवेदन, संबंधित जिला कोषालय अधिकारी को सौपेंगे।

  
अपर संचालक

संचालनालय, कोष एवं लेखा  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रशि0/म0.प्र.वि.से.(परि)/17/  
प्रति,

भोपाल,दिनांक

कोषालय अधिकारी,  
जिला कोषालय-----  
(म0प्र0)

विषय:- नवनियुक्त म0प्र0 वित्त सेवा(परिवीक्षाधीन)अधिकारियों के प्रशिक्षण बाबत ।

संदर्भ:- म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक/एफ/ 5(ए)/3/2017/ई/चार,  
भोपाल दिनांक 11-10-2017

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार नवनियुक्त म0प्र0 वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन 73 अधिकारियों को दिनांक 06-11-2017 से 15-12-2017 तक कुल 06 सप्ताह का जिला स्तर पर कोषालयीन प्रक्रिया का अध्ययन एवं कोषालय सबसिस्टम के कार्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाना जाना है । कृपया संलग्न सूची अनुसार नवनियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करें ।

पत्र के साथ अधिकारियों के नाम तथा जिस जिले में प्रशिक्षण दिलाया जाना है, उन कोषालयों/जिलों की सूची संलग्न प्रेषित है।

इनकी प्रत्येक माह की उपस्थिति माह की 25 तारीख तक संबंधित अधिकारी के पदस्थापना कार्यालयों को प्रेषित करते हुये एक प्रति इस संचालनालय की प्रशिक्षण शाखा को प्रेषित करें।

समस्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जिला स्तर पर लिये गये प्रशिक्षण का प्रशिक्षण प्रतिवेदन एकजाई कर संबंधित कोषालय अधिकारी, संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर उपरांत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र सहायक संचालक, प्रशिक्षण शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल को प्रेषित करेंगे एवं प्रशिक्षण के दौरान लिये गये अवकाश आवेदन आदि सहायक संचालक, राजपत्रित शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा के नाम प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणार्थियों की कोषालयवार सूची ।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

SD/-  
अपर संचालक

भोपाल,दिनांक 03/11/2017

पृ0क्रमांक/प्रशि0/म0प्र0वि0से0(परि0)/17/ 418

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3- संबंधित प्रशिक्षणार्थी श्री/श्रीमती/कुमारी-----

जिला कोषालय-----की ओर पालनार्थ अग्रेषित । प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण से अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे संबंधित जिले के जिला कोषालय(संलग्न सूची अनुसार) में ही प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे । समस्त प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण उपरांत अपना प्रशिक्षण प्रतिवेदन, संबंधित जिला कोषालय अधिकारी को सौपेंगे।

अपर संचालक

